राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।

टेलीफैक्स :– 0141–2222403, ई–मेल:–dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट:– www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/20/ 3734–3765 दिनांक :– 23.1.2020

1. **आयुक्त नगर निगम**
   जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर।
2. **आयुक्त नगर परिषद**
   अलवर, झुझुनू, नागौर, बासवाड़ा, श्रीगंगानगर, बांरा, सिरोही, पाली, भीलवाडा, झालावाड़, बाडमेर, जैसलमेर, चित्तोड़गढ़, राजसंमद, धौलपुर, हनुमानगढ़, जालौर, टौक, बुंदी, चुरु, सवाईमाधोपुर, करोली, दौसा।
3. **अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका**
   नोखा, नाथद्वारा एवं झालारापाटन।

विषय :– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा ओए 606/2018 में पारित आदेशों की पालना में मॉडल सिटी/टाउन बनाने के कम में।

विषयान्तर्गत लेख है, कि माननीय NGT के द्वारा पारित आदेशों के कम में पूर्व में 6 मॉडल सिटी/टाउन यथा जयपुर, उदयपुर, सीकर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर एवं पुष्कर को चयनित किया जाकर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमों, वेस्ट प्लास्टिक प्रबन्धन नियमों, कन्शट्रक्शन एवं डिमोलिशन वेस्ट प्रबन्धन नियमो की पालना की जा रही है।

श्रीमान मुख्य सचिव राजस्थान द्वारा दिनांक 20.01.2020 को समीक्षा बैठक दौरान दिये गये निर्देशों के कम में जिला मुख्यालय की समस्त नगरीय निकायों को मॉडल सिटी/टाउन बनाया जाना है। जिसके अनुसार माननीय NGT द्वारा 18 बिन्दुओं की पालना की जानी है।

नगरीय निकायों द्वारा ठोस कचरे का घर–घर कचरा संग्रहण, स्त्रोत पर पृथ्ककीकरण, मेटेरियल रिकवरी फेसेलिटी एवं प्रोसेसिंग प्लान्ट तक परिवहन शत प्रतिशत किया जा कर कचरे की प्रोसेसिंग सुनिश्चित की जानी है। इस हेतु प्रत्येक नगरीय निकाय में मेटेरियल रिकवरी फेसेलिटी बनाई जाकर वहा पर रेगपिकर्स का रजिस्ट्रेशन कर उनसे सुखे कचरे की छटनी (Segrigation) चालू करवाया जावे, तथा गीले कचरे से कम्पोस्ट खाद बनाई जानी सुनिश्चित की जानी है।

यहां यह उल्लेखनीय है, कि माननीय NGT के आदेशों की पालना में कचरे का शतप्रतिशत निस्तारण तय समय सीमा में किया जाना है, जिसक लिये प्रत्येक नगरीय निकाय स्तर पर एक्शन प्लान तैयार कर उसके कियान्वयन की मॉनिटरिंग आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी स्तर पर की जाकर कार्यवाही की जानी है जिससे माननीय NGT को आगामी पेशी में पालना रिपोर्ट भेजी जा सके।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि माननीय NGT द्वारा पारित आदेशों की पालना सुनिश्चित करते हुये विभाग को पालना रिपोर्ट से अवगत करवावें।

(भवानी सिंह देथा)
शासन सचिव

D:\Kala ji\Hindi Letter .docx

479

Scanned by CamScanner

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/ 20/ 3766–3770   दिनांक :– 23.1.2020.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार। ।
3. मुख्य अभियन्ता, निदेशालय।
4. उप निदेशक (क्षैत्रीय) समस्त।
5. प्रोग्रामर निदेशालय विभागीय बेवसाईट पर अपलोड किया जाने हेतु।
6. सुरक्षित पत्रावली।

(उज्जवल राठौड़)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

D:\Kala ji\Hindi Letter .docx

Scanned by CamScanner